कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक ~~(कक्ष–सरक्षा)~~

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mpforest.org

क्रमांक/वन अपराध/ 6383 भोपाल, दिनांक 23/12/14

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक,
(क्षेत्रीय/वन्यप्राणी)
म.प्र.

विषयः– वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियत्रंण ।

संदर्भः– म.प्र. शासन, वन विभाग का पत्र कमांक/147/99/10–3 दि. 12–1–2000, कमांक/1349/10/3/2000 दि. 24–3–2000, कमांक/एफ–25/7/2002 10–3 दि. 5–7–04 एवं कमांक एफ–19–71/2012/1/4 दि. 31–7–2012 .

———

विषयांकित संदर्भित पत्रों का अवलोकन कीजिये जिसके द्वारा समय समय पर म.प्र. शासन वन विभाग द्वारा अवैध उत्खनन पर नियंत्रण के संबंध में निर्देश प्रसारित किये जाते रहे हैं । म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र कमांक 147 दिनांक/99/10–3 दि. 12–1–2000 द्वारा निर्देश दिये गये है कि :–

बिन्दु 3:– खदान स्वीकृत होने पर मौके पर जिला खनिज अधिकारी व संबंधी क्षेत्रीय उप वनमंड़लाधिकारी खदान क्षेत्र का सीमांकन करेंगे । खदान ठेकेदार के तरफ से सीमेंन्ट के मुनारे बनाकर उन पर कम वार नंबर डाले जायेगें । मुनारे के बनने पर पुनः खनिज अधिकारी व क्षेत्रीय उप वन मंड़लाधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने और मुनारे सही पाये जाने के पश्चात् ही खदान ठेकेदार को उत्खनन हेतु क्षेत्र का कब्जा दिया जायगा ।

बिन्दु 5:– प्रत्येक माह खनिज अधिकारी अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकारी एवं वन मंड़लाधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी संयुक्त रूप से खदान क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रमाण पत्र देगें कि ठेकेदार द्वारा स्वीकृत खदान क्षेत्र के बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है । यदि खदान क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया जाना पाया जाये तो खदान निरस्त करने की कार्यवाही की जाये ।

खदान की लीज में यह स्पष्ट उल्लेख किया जायगा कि स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व खनिज ठेकेदार का होगा। यदि आसपास के क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना ठेकेदार का होगा। यदि आसपास के क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना ठेकेदार द्वारा खनिज अधिकारी व वन मंड़लाधिकारी को तत्काल लिखित में दी जावेगी ।

इसी प्रकार शासन के कमांक/1349/10/3/2000 दि. 24–3–2000 द्वारा निर्देश है कि :–

बिन्दु 1:– जिले में वर्तमान में स्वीकृत समस्त उत्खनन लीज प्रकरणों का जिलाध्यक्ष एवं वन मंड़लाधिकारी द्वारा समीक्षा कर पुष्टि करायी जायगी कि

जिले में कोई भी उत्खनन कार्य अनियमित रूप से वन क्षेत्र में संचालित नहीं है।

बिन्दु 2:— जिलाध्यक्ष एवं वन मंड़लाधिकारी यह प्रमाण—पत्र देगें कि वन क्षेत्रों में भारत सरकार की स्वीकृति के बगैर, उत्खनन के लिये कोई पट्टा न तो दिया गया है और न ही बिना पट्टे के कोई अवैध उत्खनन तो नहीं है ।

म.प्र. शासन के पत्र कमांक/एफ—25/7/2002/10—3 दि. में लेख है कि "वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण की दृष्टि से प्रत्येक माह खनिज अधिकारी अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकारी एवं वनमंड़लाधिकारी, संयुक्त रूप से खदान क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रमाण—पत्र देगें कि ठेकेदार द्वारा स्वीकृत खदान क्षेत्र के बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है। उक्त प्रमाण पत्र एकजाई कर प्रत्येक माह की जानकारी प्रमुख सचिव,वन विभाग को भेजी जाये" । **जो प्रेषित नहीं किया जा रहा है ।**

वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन की बेहतर रोकथाम के लिये वन सीमा से 250 मीटर के भीतर पत्थर फड़ी की अनुमति लीज धारको को नहीं दी जायेगी के संबंध में कमांक एफ—19—71/2012/1/4 दि. 31—7—2014 द्वारा लेख किया गया है ।

शासन द्वारा समय—समय पर जारी उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित कीजिये किसी भी स्थिति में वन भूमि पर अवैध उत्खनन न होने दिया जावे यदि कोई ऐसा प्रकरण प्रकाश में आता है तो तत्काल अपराध पंजीबद्व कर नियमानुसार कार्यवाही करें तथा संयुक्त प्रमाण पत्र प्रत्येक माह प्रमुख सचिव वन को प्रेषित कर इस कार्यालय को भी अवगत करावें।

संलग्नः—

1— कमांक 147/99/10—3 दि. 12—1—2000
2— कमांक 1349/10/3/2000 दि. 24—3—2000
3— कमांक/25/7/2002/10—3 दि. 5—7—04
4— कमांक/एफ—19—71/2012/1/4दि.31—7—2012

23.12.14

(रवि श्रीवास्तव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
सतपुड़ा भवन भोपाल

कमांक/वन अपराध/ 6384 भोपाल, भोपाल/ 23/12/14

प्रतिलिपिः—

1— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू—प्रबंध) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2— समस्त वन मंड़लाधिकारी म.प्र. की ओर उक्त निर्देशों के पालन हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
सतपुड़ा भवन भोपाल